125

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक- 48-तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-12-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 155/अपील/1994-95

.....

1- जगदीश प्रसाद

2- लक्ष्मण प्रसाद, पुत्रगण छोटा

निवासीगण - ग्राम घोपी तहसील सिरमौर

जिला-रीवा (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

वालमीक तनय जमुना

निवासी- ग्राम घोपी तहसील सिरमौर

जिला-रीवा (म.प्र.)

----------अनावेदक

.....

श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-12-06 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार गंगेव के नामांतरण पंजी क्रमांक 51 में पारित आदेश दिनांक 24-01-90 के विरूद्ध

आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला-रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20-02-95 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 01-12-06 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं उपलबध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने इश्तहार प्रकाशन कराया है । नामांतरण पंजी पर आवेदक की सहमति दी, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया है। सहमति के आधार पर आवेदकगण को अपील एवं निगरानी करने का अधिकार नहीं रह जाता । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र इस आधार अपील स्वीकार की है कि आवेदकगण के सहमति के बिना नामांतरण आदेश पारित किया गया है। जबकि नामांतरण पंजी पर आवेदकगण के हस्ताक्षर अंकित होने के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस कारण अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश को उचित मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटी प्रकट नहीं होती ।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-12-2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,